न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 152/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/167**
दायर दिनांक :– 19.07.2024 **निर्णय दिनांक :– 10.05.2025**

1. हरिराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. रेवन्तराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. मोहनराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. मूलाराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. मंगली पुत्री रूपाराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. मोहनराम पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. हरीराम पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. ग्राम पंचायत रोहिणा जरिये संरपच ग्राम रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अ. सं. 4
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 273/2 रकबा 7.9075 हैक्टेयर ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू–नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार घंटियाली द्वारा दिनांक 31.03.2023 को जारी आदेश क्रम संख्या 204 की पालना में दिनांक 04.04.2023 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 04.04.2023 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 2 ता

10/5/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

5 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थीगण को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 04.04.2023 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 4 की और अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 273/2 रकबा 7.9075 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 04.04.2023 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बहस में कथन किया कि पैमाईश फर्द दिनांक 04.04.2023 के अनुसार पत्थरगढी नहीं की जाकर ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 274 रकबा 11.5902 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 274/1 रकबा 11.5902 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 273/2 रकबा 7.9075 हैक्टेयर भूमि की सभी खातेदारी की उपस्थिति में मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश की जाकर उक्त दोनों खसरान् की पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 274 रकबा 11.5902 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 274/1 रकबा 11.5902 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 273/2 रकबा 7.9075 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए उक्त खसरान् की मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश की जाकर पैमाईश अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

10/5/24

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 273/2 रकबा 7.9075 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 274 रकबा 11.5902 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 274/1 रकबा 11.5902 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गड्ढी मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश की जाकर पैमाईश अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार घंटियाली उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/5/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]